रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2021–23

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गजट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215, 9415074806, 9415486103

वर्ष – 45 ● अंक – 11 ● कानपुर 1 से 15 जून 2023 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

नेशनल मेडिकल कमीशन ने जारी किया नया फ़रमान

डाक्टर परेशान ! IMA खामोश

यह जानिये कौन कौन हो सकता है इसका सदस्य?

भ्रम के मायाजाल से बाहर आइये

यह आपके लिये नहीं है

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया हुई गम्भीर

जबकि वास्तविकता यह है

नेशनल मेडिकल कमीशन अधिनियम 2019 के अधीन **National Medical Commission Registered Medical Practitioner (Professional Conduct) Regulations, 2022** के अनुसार एलोपैथिक चिकित्सकों को अब अपने नाम से पूर्व (Med. Dr.) लिखना होगा, ऐसा जारी विनियमावली प्राविधान में किया गया है, विनियमावली के आवश्यक अंश पाठकों की जानकारी हेतु प्रस्तुत किया जा रहे हैं:–

PROFESSIONAL CONDUCT OF RMP[s]

1- Duties and responsibilities of the Registered Medical Practitioners :

At the time of making an application for registration under the provisions of the NMC Act, it shall be deemed that the RMP has lead and agreed to abide by these regulations.

2- Prefix, Suffix and Modern Medicine:

[A] *Only those RMP[s] who are registered under NMC Act, 2019, can use Medical Doctor (Med. Dr.) as a prefix before their names. Every self employed RMP shall display the* unique registration I D *assigned to him/her by EMRB in his/her prescription, certificate and money receipts given to patients. Employed RMP shall get a seal made by the employer for displaying the unique registration number below the RMP[s] signatures.*

[B] *The RMP shall display as suffix to his/her name only* NMC *recognized and accredited medical degrees/diplomas as provided in the nomenclature of the regulations and listed on the NMC website.(* List of such Degrees and Diplomas will be on the website and updated regularly) *RMP[s] qualified abroad and seeking registration to practice after clearing* FMGE/NEXT *must use NMC approved equivalent Medical prefixes and suffixes to provide clarity to* patients and the public at large.

[C] *ਕ RMP shall not claim to be clinical specialist unless he/she as NMC recognized training and qualification in that specific branch of modern medicine (* The list of recognized post-graduation and super specialization degrees/ diplomas will be available on the NMC website)

[D] *Every* RMP *shall practice the system of medicine in which he/she has trained and certified* (For this purpose referred to as modern medicine or allopathic medicine) *and shall not associate professionally with any unqualified person to perform any treatment, procedure or operation.*

[E] *ਕ* RMP *shall not employee in connection with his/her professional practice any health care professional who is neither registered nor trained under the relevant Medical Acts in force related to the practice of modern medicine, provided that having employed any other assistance in the practice, the ultimate responsibilities rests on the self employed* RMP *or* RMP *responsible for*

शेष पेज 3 पर

एन0एम0सी0 में कौन करायेगा रजिस्ट्रेशन

देश में एलोपैथी की नीति नियामक संस्था नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन गत वर्षों में किया गया है जिसे पूर्व में इण्डियन मेडिकल काउन्सिल कहा जाता रहा है, इण्डियन मेडिकल काउन्सिल को विस्तार देते हुये विभिन्न कार्यों के लिये अलग–अलग काउन्सिलें बनायी गयी हैं इन काउन्सिलों के बनने से एलोपैथी स्पष्ट रुप से प्रदर्शित होती है, केवल यही नहीं इसके डाक्टरों को **Dr.** के स्थान पर **Med Dr.** लिखने के निर्देश भी दिये गये हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाये कि उमुक चिकित सक एलोपैथी का डाक्टर है।

इसी प्रकार होम्योपैथी तथा अन्य प्रचलित पद्धतियों की संस्थायें भी गठित की गयी हैं जिन्होंने अपनी पद्धति की पूर्व परिषदों का स्थान ग्रहण किया है, यह सभी परिषदों की कार्य प्रणाली **N.M.C.** की ही भाँति है, वर्तमान समय सोशल मीडिया का समय है और आप भली भाँति जानते हैं कि सोशल मीडिया में जो कुछ भी बताया, सुनाया अथवा दिखाया जाता है उसपर आँख मूँद कर भरोसा नहीं किया जा सकता है, कुछ अपने मन मस्तिष्क पर भी ज़ोर देना चाहिये कि अमुक बतायी, दिखायी अथवा सुनायी गयी बात कितनी सत्य है।

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान पटल द्वारा जारी 25 नवम्बर, 2003 का आदेश जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी सहित सभी गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के लिये नीति नियामक आदेश है, इसी आदेश में स्पष्ट तौर पर राज्य सरकारों को निर्देश दिये गये हैं कि उनके राज्य में संचालित संस्थाओं द्वारा जिन चिकित्सा पद्धतियों को चिकित्सा पद्धति की मान्यता नहीं दी गयी है उनमें डिग्री एवं डिपलोमा जारी न करने दिया जाये तथा मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के अतिरिक्त किसी को भी **Dr.** शब्द का प्रयोग करने से रोका जाये।

सरकार के इस आदेश से यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि देश के अनेक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की संस्थायें संचालित हैं तथा उनमें छात्र अध्ययन तो करते ही हैं अपितु उनको बाकायदा प्रमाण–पत्र भी दिये जाते हैं जिनके आधार पर वे नियमानुसार प्रैक्टिस भी करते हैं, ऐसी संस्थायें विधि सम्मत हैं।

भारत सरकार के इस आदेश के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं को संचालित करने तथा चिकित्सा करने का पूर्ण अधिकार है, सरकार के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थयें बैचलर व मास्टर डिग्री न तो जारी करती हैं और न हीं इसके चिकित्सक **Dr.** लिखते हैं अपितु इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक भारत सरकार के इस आदेश के जारी होने के पश्चात से ही **EHDr.** तथा अपनी योग्यता का स्पष्ट उल्लेख करते हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं क्रमशः इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया एवं बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने संयुक्त रुप से विचार किया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों की भी अपनी स्वंय की पहचान होनी चाहिये इसी कारण अपनी पहचान बताने के उद्देश्य से उपरोक्त द्वय संस्थओं ने सबसे पहले अपने चिकित्सको की पहचान **EHDr.** लिखने से की फिर अनेक संस्थाओं ने इसका अनुसरण किया यह एक अच्छी बात है कि किसी ने कोई विरोध नहीं किया आज की तारीख में 90 प्रतिशत इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अपने नाम के पहले **EHDr.** लिखकर अपनी पहचान प्रदर्शित करता है और अपने आपको अन्य चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों से बिलकुल पृथक दिखता है।

फतेहपुर, रायबरेली के बाद अब कानपुर में भी निःशुल्क इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कैम्प

फतेहपुर– दिनांक 18 मई, 2023 दिन गुरूवार को सठिगवां में चांदपुर मोड़ के पास पोस्ट सालेपुर में एक निशुल्क इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जिसका आयोजन, डॉ0 देव आनंद सागर डॉ0 काउंट सीजर मैटी क्लीनिक, अमौली ने किया, बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी उ0प्र0 लखनऊ के डॉक्टर वकील अहमद प्रभारी अधिकारी जनपद फतेहपुर, डॉ0 रश्मि प्रभारी अधिकारी जनपद कानपुर देहात, डॉ0 पूजा, डॉ0 बिपाशा मौजूद थे, प्रातः 9:00 से शाम 4:00 बजे तक चले इस निशुल्क कैंप में 70 से ज्यादा मरीजों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाओं से अपना इलाज कराया, बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी उ0प्र0 के चेयरमैन डॉ0 एम0एच0 इदरीसी ने कहा है कि समाज की सेवा के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर्स इस तरीके के निशुल्क कैंप करते रहें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो सके।

ग्राम सठिगवां फतेहपुर में आयोजि निःशल्क चिकित्सा शिविर में बीच में बैठे हुये डा0 देवानन्द , उनके बोयें हैं जिला प्रभारी फतेहपुर डा0 वकील अहमद छाया गज़ट

कानपुर में निःशुल्क शिविर में हुआ 75 रोगियों का इलाज

कानपुर– स्थानीय बेगमपुरवा (निकट मौलाना आजाद एजूकेशन सेन्टर) में 21 मई, 2023 दिन रविवार को प्रातः 11 बजे से अपरांह 2 बजे तक एक निः शुल्क इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया शिविर में महिला चिकित्सकों की भी सेवायें उपलब्ध थीं, इस शिविर में नवजात शिशुओं, धात्री महिलाओं के अतिरिक्त सभी महिला, पुरूषों और बच्चों को खांसी, बुखार, डायरिया, खसरा आदि के रोगियों की जाँचे एवं आवश्यक दवायें निःशुल्क वितरित की गयी।

इस चिकित्सा शिविर में प्रमुख रुप से फतेहपुर से आये हुये डा0 देवानन्द सागर, लेडी डा0 विपाशा, डा0 इकबाल अन्सारी, फतेहपुर से ही डा0 वकील अहमद ने अपनी सेवायें दीं।

शिविर का उदघाटन बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी द्वारा किया गया, चेयरमैन महोदय ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर शिविर का उदघाटन किया ज्ञातव्य रहे कि चेयरमैन महोदय हज यात्रा पर जा रहे हैं एवं इनकी फलाइट 22 मई, 2023 की है।

शिविर में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद ने अकासमिक शिविर का नरीक्षण किया एवं उपस्थित चिकित्सकों की प्रशंसा करते हुये कहा कि आजकी आवश्यकता इसी प्रकार के शिविरों की है, एसे शिविर हमें प्रोत्साहित तो करते ही है बल्कि गरीबों को भी एसे शिवरों से लाभ मिलता है।

निःशुल्क इलेक्ट्रो होम्योपैथिक शिविर का रिबन काट कर उदघाटन करते हुये बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी साथ में दायें खड़े हैं डा0 वकील अहमद–फतेहपुर, बायें डा0 इकबाल अन्सारी–कानपुर एवं चेयरमैन के ठीक पीछे डा0 देवानन्द सागर–फतेहपुर। छाया गज़ट

नेशनल मेडिकल कमीशन ने जारी किया नया फ़रमान

प्रथम पेज से आगे

administration and recruitment in case of hospital practice.

[F] A person qualified in more than one system of medicine to decide which system he wants to practice. Once license to practice Modern Medicine under NMC Act, he shall not practice another system of medicine simultaneously. Short courses in other systems of medicine do not qualify a practitioner to practice and prescribe in that system of medicine.

3- Continuing Professional Development Program:

A RMP Should attend continuing professional development programs regularly each year, totaling at least 30 credit hours every five years. Only recognized medical colleges and health institutions or medical societies accredited or authorised by EMRB/ State Medical Councils can offer training and credit hours for this purpose. Credit hours awarded shall be updated online against the Unique Registration Number of RMP on the EMRB-NMC website. Renewal of license to practice should be done every 5 years (from the publication of gazette notification) , after submitting documentation of CPD credit hours. The license renewal form will allow updates of details like specialization, place of work, address, contact details, or any other details specified by EMRB/NMC.RMP's who wish to practice in another State (Due to transfer of work or residence) should inform that State medical council and apply for licence to practice in that State. State will have to mandatorily provide license to practice charging appropriate fee within 7 days.

4- Right to rumination of A RMP:

Consultation fee should be made known to the patient before examination or treatment of the patient. A reasonable estimation of the cost of Surgery of Treatment should be provided to the patient to enable and informed decision. A RMP can refuse to continue to treat a patient if the fee as indicated or not paid. This does not apply to doctors in Government service or emergencies and the doctor must ensure that the patient is not abandoned.

5- Prohibiting Soliciting of Patient:

A RMP Shall not solicit patient directly or indirectly or as a part of the group of RMP's, or institutions or organizations or hospitals or nursing homes or corporate hospitals established , owned, controlled or maintained by the appropriate Government, local authority, trust wether private or public, corporation, cooperative society, organization or any other entity or person.

6- Prescribing Generic Medicine:

Every RMP is expected to prescribe drugs using Generic names written legibly and prescribe drugs rationally, abiding unnecessary medications and irrational fixed dose , combination tablets.

7- Prohibition of Fee splitting/ commissions:

A RMP shall not directly or indirectly participate in any act of division, transfer, assignment, subordination, debating, splitting or refunding of any fee for diagnostic, scanning, medical, surgical or other treatment. These provisions shall apply with equal force to referring, recommending or procuring by RMP of any patient, specimen or material for diagnostic purposes or other studies/work. How ever nothing in this section shall prohibit payment of salaries by a qualified RMP to another duly qualified person rendering medical care under his/her supervision. RMP Shall not use online forums or agents for preparing patients.

8- Prohibition of endorsement of the product or a person:

(A) A RMP individually or as part of an organization/ association / society shall not give to any person or to any companies or to any products or to software / plate forms, weather for compensation or otherwise, any approval, recommendation, endorsement, certificate, report or statement concerning any drug, medicine, nostrum remedy, surgical or therapeutic article, apparatus or appliance or any commercial product or article with respect to any property, quality or use thereof or any trust, demonstration or trial thereof for use in connection with his name, signature or photograph in any form or minor of advertising through any mode nor shall be host of cases, operations, cures or remedies or permit the publication of report thereof through any more.

(B) A RMP shall not issue certificates of proficiency in modern medicine to un qualified or non medical persons. This does not restrict the proper training and instruction of bonafide students, mid-wife , dispenser, surgical attendants or skilled mechanical or technical assistant and therapy assistants under the personal supervision of RMP's . Every certificate must contain the details regarding experience, skills and competency obtained , duration of training and kind of work done during training. The onus of the veracity of the certificates lies with the RMP.

9- Restriction on Advertisement:

(A) A RMP is permitted to make a formal announcement any media (print, electronic or social) within 3 months regarding the following :-

(a)On starting practice
(b)On change of type of practice
(c)On changing address
(d)On temporary absence from duty
(e)On resumption of practice
(f)On succeeding to another practice
(g)Public declaration of charges

(B) A RMP or any other person including corporate hospitals, running a maternity home, nursing home, private hospital, rehabilitation centre or any type of medical training institution etc. may place announce ments in lay press, but these should not contain anything more than the name of the institution, type of patients admitted, kind of training and other facilities offered and the fees.

© A RMP is allowed to do public education through media without soliciting patients for himself or the institution.

10- Responsibility of RMP regarding the sale of drugs:

(A) A RMP shall not run an open shop to sale medicine prescribed by RMP's other than himself or for the sale of medical or surgical appliances. They are allowed to sale medication to his/her own patients.

(B) A RMP can prescribe or supply drugs, remedies or appliances as long as there is no exploitation of the patient. Drugs prescribed by a RMP or bought from the pharmacy for a patient should explicitly state the generic name of the drug.

© A RMP shall not dispense or prescribe secret remedial agents of which he does not know the composition or action in the body. The manufacture or promotion or use of these remedies is prohibited.

सच्ची खबरें कड़वे घूँट

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित एवं प्रसारित होने वाला तथा पल–पल के निष्पक्ष समाचारों को आप तक पहुँचाने के लिये हमारे रिपोर्टर सदैव तत्पर रहते हैं।

हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से जुड़े हर समाचार को बिना किसी भेद–भाव के आप तक पहुँचाते हैं। आशा है कि पूर्व की भाँति आपका स्नेह सदैव हमें प्राप्त होता रहेगा।

सम्पादक

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन सपत्नी हज को रवाना

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी अपनी धर्मपत्नी व बोर्ड की ओ0 एस0 डी0 श्रीमती शाहिना इदरीसी हज के लिये रवाना होने से पूर्व उनके निवास का दृष्य

प्रसन्नता के वे पल जो भुलाये नहीं जा सकते हैं

*

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन Dr. M.H. Idrisi अपनी धर्मपत्नी श्रीमती शाहिना इदरीसी के साथ साउदी एयरलाइन्स के जहाज पर मदीना के लिये जहाज के टेक ऑफ के प्रतीक्षा में प्रसन्न मुद्रा में । छाया गज़ट

अमौसी एयरपोर्ट के अन्दर का दृष्य

बी0 ई0 एच0 एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर-208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर-208014 से प्रकाशित किया।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन सपत्नी 1 जून, 2023 को आज मक्का में